सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 1070 राँची, गुरूवार, 26 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 दिसम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-682/2014-27421 (HRMS)-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-574/03, गृह जिला-पटना), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बखरी, बेगुसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक-356, दिनांक 14.06.2006 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री प्रभाकर के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया कि ये दिनांक 27.03.2001 से दिनांक 16.07.2001 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। जिला कार्यालय से कुल 1091700 रूपये का चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बखरी के पदनाम से दिया गया था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बखरी द्वारा उसे प्राप्त कर बैंक में जमा तो कर दिया गया परन्तु उसका प्रविष्टि संबंधित सहायक रोकड़ पंजी के सामान्य रोकड़ पंजी के प्राप्ति में अंकित नहीं की गई। बैंकों द्वारा कुल 70944 रूपये सूद के रूप में दी गयी परन्तु उसकी प्रविष्टि न तो सहायक रोकड़ पंजी में और न तो सामान्य रोकड़ पंजी के ही प्राप्त साईड में अंकित की गई, जिस कारण कालांतर में इस राशि का भी गबन कर लिया गया, जिसके इनकी लापरवाही परिलक्षित होती है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6732, दिनांक 10.10.2007 द्वारा श्री प्रभाकर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री प्रभाकर के पत्र, दिनांक 17.05.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा लापरवाही नहीं बरतने का उल्लेख किया गया।

श्री प्रभाकर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4932, दिनांक 30.07.2009 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय, बिहार से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए उन्हें स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् श्री प्रभाकर के स्पष्टीकरण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12257, दिनांक 05.09.2019 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक-823, दिनांक 22.07.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रभाकर के विरूद्ध आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला अधिकारी, बेगुसराय के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री प्रभाकर को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SRINARAYAN VIGYAN PRABHAKAR BHR/BAS/2838	श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-574/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बखरी, बेगुसराय को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1070 -- 50